कार्यालयः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर

बन्दोबस्ती सूचना वर्ष 2016-17

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद्, बक्सर क्षेत्रान्तर्गत निम्न विवरणी के अनुसार सैरातों की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये की जानी है।

क्रमांक	बाजार/ सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि	वित्तीय वर्ष	आवंटित
1	जय प्रकाश बस पड़ाव में अन्दर लगने वाले अस्थायी दुकानों से कौड़ी वसूली हेतु बन्दोबस्ती	21120	5280	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
2	शमशान घाट से निबंधन शुल्क वसूली हेतु बन्दोबस्ती	176660	44165	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
3	जय प्रकाश बस पड़ाव की बन्दोबस्ती	491700	122925	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
4	मछली फेरी एवं अम्बेदकर बाजार में बैठकर मछली बेचने वालों से कौड़ी वसूली की बन्दोबस्ती	40700	10175	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
5	अम्बेदकर बाजार की बन्दोबस्ती	252500	63125	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
6	महात्मा गाँधी बाजार की बन्दोबस्ती	709000	177250	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
7	चलते फिरते टेम्पू से कौड़ी वसूली की बन्दोबस्ती	111222	27805	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
8	नई बाजार नगर परिषद्, बक्सर की बन्दोबस्ती	167750	41937	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
9	ताड़ वृक्ष से ताड़ी उतारने हेतु बन्दोबस्ती	1540	385	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
10	भैंसा बध गृह की बन्दोबस्ती	7480	1870	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
11	रिक्सा, ठेला, टमटम, बैलगाड़ी एवं साईकित मालिक से कौड़ी वसूली हेतु बन्दोबस्ती	49060	12265	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
12	राम रेखा घाट-उजियार घाट समूह फेरी से (टोकन) कौड़ी वसूली हेतु बन्दोबस्ती	661100	165275	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
13	सोहनीपट्टी खदान की कृषि युक्त जमीन की बन्दोबस्ती	7480	1870	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
14	बकरा बध गृह की बन्दोबस्ती	10148	2537	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक
15	नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन एवं होर्डिंग्स से कौड़ी वसूली हेतु बन्दोबस्ती	62040	15510	2016-17	01-04-2016 से 31-03-2017 तक

बन्दोबस्ती की शर्त्तः-

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति नगर परिषद् द्वारा निर्धारित जमानत की राशि जमा करने के बाद ही डाक में भाग ले सकते है।
2. डाक की बोली सुरक्षित जमा राशि से प्रारम्भ की जायेगी एवं उच्चतम डाक वक्ता को डाक स्वीकृत किया जायेगा।
3. डाक समाप्ति के तुरंत बाद उच्चतम डाक वक्ता द्वारा एक मुस्त बोली गयी राशि रोकड़पाल के पास जमा करना होगा।
4. यदि उच्चतम डाक वक्ता द्वारा निर्धारित समय तक राशि जमा नहीं की जाती है तो उनके द्वारा जमा की राशि को जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता के साथ बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी।
5. उपरोक्त सभी सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु डाक की तिथि दिनांक 04-03-2016 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित की जाती है। यदि किसी कारणवस उक्त तिथि को डाक नहीं हो सका तो अगली तिथि 08-03-2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे एवं उक्त तिथि को डाक नहीं होने की स्थिति में अगली तिथि 14-03-2016, 18-03-2016, 26-03-2016 एवं 31-03-2016 को 11:00 बजे पूर्वाह्न को निर्धारित की जाती है।
6. किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या या प्राकृतिक आपदा होने पर बन्दोबस्ती की राशि में छुट नहीं दी जाएगी एवं वसूली की राशि में कोई वृद्धि मान्य नहीं होगा।
7. सफल डाक वक्ता को कुल राशि का 3% मुद्रांक शुल्क के रुप में तत्काल नगर परिषद् कोष में जमा करना होगा।
8. क्रमांक 12 पर अंकित सैरात बन्दोबस्ती में भाग लेने के एक दिन पहले पावर वार्ज होने का प्रमाण पत्र, फेरी चलाने का अनुभव प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा।
9. बन्दोबस्तीधारी को बाढ़, निर्वाचन एवं त्योहारों के अवसर पर गंगा नदी में पेट्रोलिंग हेतु आवश्यक्तानुसार जिला प्रशासन एवं नगर परिषद्, बक्सर को पावर वार्ज उपलब्ध कराना होगा।
10. उपरोक्त बन्दोबस्ती को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
11. इच्छुक व्यक्ति कार्यअवधि में कार्यालय से सम्पर्क कर डाक की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बक्सर।